न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **254/10 (वाद)**

GCMS No. : 2010/00042

1. श्री रामचन्द्र पिता स्व. हिरालालजी पालीवाल ब्राहम्ण, आयु–61वर्ष, निवासी–विठोली, तहसील–मावली, हाल घासा जिला– उदयपुर, (राज.)

............वादीया

बनाम

1. श्री खेमराज पिता स्व. हिरालालजी कि ब्राहम्ण, आयु–70 वर्ष, निवासी–विठोली, तहसील–मावली, हाल घासा जिला– उदयपुर, (राज.) के बजाय

1/1 उमाबाई पत्नी स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/2 छगनलाल पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/3 राजुबाई पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/4 बसन्तीबाई पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

2. श्रीमती भागू पिता स्व. हिरालालजी पत्नि खेमशंकर पानेरी ब्राहम्ण, आयु– 72 वर्ष, निवासी– पानेरियों की भागल, तह. गोगुन्दा, पो. तरपाल जिला– उदयपुर, (राज.)
3. श्रीमती सुन्दर पिता स्व. हिरालालजी पत्नी रतनलाल पालीवाल ब्राहम्ण, आयु 65 वर्ष, निवासी केसुली, तहसील नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द, (राज.)

3/1 सोहनलाल माता सुन्दर बाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा उदयपुर।

3/2 प्रेमलाल पिता रतनलाल माता सुन्दरबाई पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/3 तुलसीराम माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/4 टंकन उर्फ किशन माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/5 लेहरीबाई माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा

3/6 दुर्गा माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/7 भागु माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पत्नी परसराम पालीवाल निवासी भूताला तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।

4. श्रीमती नोजी पिता स्व. हिरालालजी पत्नि देवीलाल पालीवाल ब्राम्हण, आयु–55 वर्ष, निवासी– सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला– उदयपुर, (राज.)
5. श्री राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार सा. मावली, तह–मावली, जिला–उदयपुर, (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

6. तुलसीबाई पत्नी आशुराम जी पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली हाल निवासी भानसोल तहसील घासा जिला उदयपुर।
7. गणेश माता स्व. वरजु पिता गंगाराम पालीवाल उम्र वयस्क निवासी भोट मगरी कविता तहसील बड़गांव उदयपुर।
8. गोवर्धन माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
9. गोपीलाल माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
10. पुष्कर पिता गंगाराम माता वरजु पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
11. नारायण माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
12. शांतिलाल माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
13. भागु माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 31.07.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण स्व. हीरालाल के पुत्र व पुत्रियां है। गावं विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल में स्थित कृषि भूमि आ.न. 1659/255 रकबा 3.00 तीन बीघा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खेमराज, रामचन्द्र, भागू, सुन्दर, नोजी, पिता हिरालाल ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात पूर्व में स्व. हिरालालजी के नाम की होकर उक्त कृषि भूमि पर वादी अपने पिता के जीवन से काबिज हूँ। उक्त सम्पति मेरे पिता की निजी सम्पति होकर उन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.09.95 को मुझ वादी के नाम एक वसीयत लिखवाकर बतौर साक्षी दो मौतबिरान के हस्ताक्षर करा दिनांक 16.12.95 को सम्पादित करा उसका पंजीयन कराया। उक्त वर्णित भूमि मुझ वादी के पास मेरे पिता के जीवनकाल से अर्थात आज से करीबन 15 वर्षों पूर्व से ही उक्त कृषि भूमि पर मुझ वादी द्वारा लाखों रूपये लगा एवं श्रम कर आवादान कर काबिल काश्त बनाई और तब से आज तक मैं वादी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। और इसी से परिवार का पालन पोषण करते है, परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के नाम पर प्रतिवादीगण ने यह जानते हुए की उक्त भूमि को उनकें पिता द्वारा मुझ वादी के पक्ष में वसीयत कर रखी है उक्त जमीन का नामान्तकरण अपने नाम पर दर्ज करवा लिया और उनके नाम पर उक्त कृषि भूमि दर्ज होने से प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर कब्जा करने पर उतारू है जबकि उक्त भूमि पर मैं वादी गत 15 वर्षों से अपने स्व. पिता के जीवनकाल से लगातार काबिज हो काश्त कर रहा हूँ। इसलिए मुझ वादी के कब्जे काश्त में शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 उक्त भूमि में वर्णित भूमि में ताफैसला जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, न ही किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षिस करें, न हमारे उपयोग उपभोग काश्त में बाधा पहुंचावे इसमे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें न किसी परिवारजन, नौकर, चाकर एजेन्ट आदि से करावें।

2. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि आराजी न. 1659/255 रकबा 3.00 बीघा भूमि को मुझ वादी के पक्ष में वसीयत होने व गत 15 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ, उक्त भूमि को मेरे नाम घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन फरमाई जावें। वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण 1 उक्त कलम सं. दो में वर्णित भूमि में ताफैसला जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे, न ही किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षिस करें, न हमारे उपयोग उपभोग काश्त में बाधा पहुंचावे इसमे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें न किसी परिवारजन, नौकर, चाकर एजेन्ट आदि से करावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 6, 8 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी गवाह का शपथ पत्र वादी रामचन्द्र पिता हीरालाल का प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादी की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 1659/255 किता 1 कुल रकबा 3 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 708 का अवलोकन करने से जाहीर आया की उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता हीरालाल के नाम दर्ज थी। जो विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.12.95 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि को खातेदार/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता हीरालाल द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत कर दी गई। प्रदर्श 4 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदार हीरालाल का निधन दिनांक 21.10.2006 को हो चुका है। इस प्रकार विरासत के नामान्तकरण एवं प्रदर्श 4 से यह कथन स्पष्ट है कि खातेदार हीरालाल का निधन हो चुका है। साथ ही प्रदर्श 3ए आवंटन आदेश से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि हीरालाल के नाम आवंटन से दर्ज हुई। ऐसे में यही भूमि हीरालाल की स्वअर्जित भूमि ही कहलाएगी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम दर्ज थी। जो प्रदर्श 3ए आवंटन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता हीरालाल के नाम दर्ज हुई। खातेदार हीरालाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने जीवनकाल में ही वादी के पक्ष रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.12.95 को कर दी गई। अर्थात वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित होने से खातेदार हीरालाल को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। इसी वसीयत के आधार राजस्व कर्मचारियो को हीरालाल के निधन के पश्चात वादी के नाम भूमि दर्ज करनी चाहिए थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण वसीयत के आधार पर पारित नही कर विरासत का नामान्तरकरण पारित कर भूल की है। जबकि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी खातेदार हीरालाल के निधन के दिन से ही वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

2064—67 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 1659/255 रकबा 3 बीघा भूमि में खेमराज, रामचन्द्र, भागु, सुन्दर, नोजी पिता हिरालाल के नाम दर्ज है, के बजाय वादी रामचन्द्र को खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामचन्द्र पिता स्व. हिरालालजी पालीवाल ब्राहम्ण, आयु–61वर्ष, निवासी–विठोली, तहसील–मावली, हाल घासा जिला– उदयपुर, (राज.)

...........वादीया

बनाम

1. श्री खेमराज पिता स्व. हिरालालजी कि ब्राहम्ण, आयु–70 वर्ष, निवासी–विठोली, तहसील–मावली, हाल घासा जिला– उदयपुर, (राज.) के बजाय

1/1 उमाबाई पत्नी स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/2 छगनलाल पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/3 राजुबाई पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

1/4 बसन्तीबाई पिता स्व. खेमराज पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

2. श्रीमती भागू पिता स्व. हिरालालजी पत्नि खेमशंकर पानेरी ब्राहम्ण, आयु– 72 वर्ष, निवासी– पानेरियों की भागल, तह. गोगुन्दा, पो. तरपाल जिला– उदयपुर, (राज.)
3. श्रीमती सुन्दर पिता स्व. हिरालालजी पत्नी रतनलाल पालीवाल ब्राहम्ण, आयु 65 वर्ष, निवासी केसुली, तहसील नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द, (राज.)

3/1 सोहनलाल माता सुन्दर बाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा उदयपुर।

3/2 प्रेमलाल पिता रतनलाल माता सुन्दरबाई पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/3 तुलसीराम माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/4 टंकन उर्फ किशन माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/5 लेहरीबाई माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पालीवाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा

3/6 दुर्गा माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल निवासी केसुली तहसील देलवाडा ।

3/7 भागु माता सुन्दरबाई पिता रतनलाल पत्नी परसराम पालीवाल निवासी भूताला तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।

4. श्रीमती नोजी पिता स्व. हिरालालजी पत्नि देवीलाल पालीवाल ब्राम्हण, आयु–55 वर्ष, निवासी– सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला– उदयपुर, (राज.)
5. श्री राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार सा. मावली, तह–मावली, जिला–उदयपुर, (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested

6. तुलसीबाई पत्नी आशुराम जी पालीवाल उम्र वयस्क निवासी विठोली हाल निवासी भानसोल तहसील घासा जिला उदयपुर।
7. गणेश माता स्व. वरजु पिता गंगाराम पालीवाल उम्र वयस्क निवासी भोट मगरी कविता तहसील बड़गांव उदयपुर।
8. गोवर्धन माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
9. गोपीलाल माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
10. पुष्कर पिता गंगाराम माता वरजु पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
11. नारायण माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
12. शांतिलाल माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।
13. भागु माता वरजु पिता गंगाराम पालीवाल निवासी भोट मगरी तहसील बड़गांव उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 254/10 (वाद) GCMS No. – 2010/00042

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 1659/255 रकबा 3 बीघा भूमि में खेमराज, रामचन्द्र, भागु, सुन्दर, नोजी पिता हिरालाल के नाम दर्ज है, के बजाय वादी रामचन्द्र को खातेदार घोषित किया जाता है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:05 IST
Reason: SelfAttested